

1. संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण समस्त संभाग  
म.प्र.
2. जिला शिक्षा अधिकारी  
समस्त जिले, म.प्र.

विषय- पाठ्य पुस्तक वितरण विषयक।

—00—

शासकीय शालाओं में दर्ज समस्त विद्यार्थियों को प्रति वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 के अकादमिक सत्र में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की प्रक्रिया परिवर्तित कर विमर्श पोर्टल के माध्यम से वितरण की व्यवस्था किये जाने के निर्देश जारी किए गए थे ताकि पाठ्यपुस्तकों के वितरण की मॉनीटरिंग तथा स्कूलों में बची हुई पुस्तकों अथवा अतिरिक्त पुस्तकों के स्थानीय स्तर पर समायोजन आसानी से हो सके। वर्ष 20-21 में भी वितरण की प्रक्रिया विमर्श पोर्टल के माध्यम से ही की जानी है।

2. वर्ष 2020-21 से NCERT की निम्नानुसार नवीन विषयों की पुस्तकें लागू की जा रही है।

- कक्षा (IX)- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक विज्ञान
- कक्षा (XI)- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू
- कक्षा (XII)- इतिहास, राजनीति, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान

3. विमर्श पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय के लिए गत वर्ष के नामांकन के आधार पर पुस्तकों की आवश्यकता प्रदर्शित की गई है। आवश्यकता को वास्तविक अधिकतम नामांकन यथा कक्षा 9 एवं 11 के परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा 10 एवं 12 के लिए पुस्तकों की संख्या निर्धारित की गई है तथा कक्षा 9 के नामांकन की गणना लगभग गत वर्ष अनुसार ही कक्षा 8 के नामांकन को आधार मानकर की गई है। कक्षा 10 वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर मात्र कक्षा 11 वीं में पुस्तकों की संख्या में परिवर्तन संभावित होगा। वर्तमान में इस हेतु गत वर्ष के नामांकन एवं रिजल्ट में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि को आधार मान कर संख्या निर्धारित की गई है। वास्तविक नामांकन के आधार पर पुस्तकों का समायोजन जिला स्तर से किया जायेगा।

4. अकादमिक सत्र 2020-21 हेतु पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है-

- 4.1. पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से विकासखंड को खाना की जा रही पुस्तकों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर विकासखंड, जिले एवं संभाग के लॉग इन पर दिखाई देती है।
- 4.2. विकासखंड स्तर पर टी.बी.सी. के डिपो से जिस दिन पुस्तकें प्राप्त होंगी उसी दिवस अथवा अगले दिवस विकासखंड प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल के पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल पर करें।
- 4.3. प्रविष्टि के उपरांत स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा-

4.3.1 सर्वप्रथम विकासखंड की शालाओं के लिए एक केलेण्डर बनाया जाएगा। सोशियल डिस्टेंसिंग के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए शालावार दिनांक एवं समय निम्नानुसार प्रपत्र में तैयार किया

2

जाएगा। केलेण्डरों में समय एवं दिनांक इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि 1 जुलाई से 6 जुलाई के मध्य सभी शालाओं तक पाठ्यपुस्तकें पहुँच जाएं तथा एक समय पर 1 अथवा 2 से अधिक शालाएं न आएँ साथ ही पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु शाला के सभी कक्षाओं का इस्तेमाल करें-

दिनांक	समय	पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने वाली शाला का नाम	गूडाइस

- 4.3.2 निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित शाला के प्राचार्य अथवा प्रभारी पाठ्यपुस्तकें उपस्थित होकर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करेंगे।
- 4.3.3 विकासखंड स्तरीय पाठ्यपुस्तक प्रभारी द्वारा संबंधित स्कूल को पाठ्यपुस्तकें प्रदाय कर उनकी संख्या की प्रविष्टि विमर्शपोर्टल पर उसी समय करेंगे।
- 4.3.4 तदुपरांत उसका प्रिंट आउट निकालकर उस प्रिंट आउट पर संबंधित प्राप्ताकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अंकित कर उसकी मूल प्रति अपने रेकार्ड में एवं एक प्रति संबंधित प्राप्ताकर्ता को प्रदान करेंगे।
- 4.3.5 अतः यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र पर एक कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर एवं एक डेटा एंटी ऑप्रेटर की व्यवस्था अनिवार्यतः हो। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का संयुक्त रूप से होगा।
- 4.3.6 किसी भी स्कूल को विमर्श पोर्टल में अंकित संख्या से अधिक पुस्तकें प्रदान नहीं जायेंगी। यदि उस स्कूल द्वारा वास्तविक नामांकन विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाता है, तो उतनी संख्या में पुस्तकें प्रदान की जायेगी।
5. यदि किसी विकासखंड द्वारा विद्यालय की विमर्श पोर्टल पर अंकित दर्ज संख्या को ध्यान में रखें बिना निर्धारित से अधिक पुस्तकें प्रदान की जाती है, तो संबंधित विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वितरणकर्ता संस्था के प्राचार्य एवं पाठ्य पुस्तक प्रभारी को उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः सावधानी पूर्वक पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करें।
6. संस्कृत विशिष्ट विषय के लिए इस वर्ष कोई पुस्तकें मुद्रित नहीं की गई हैं। विगत वर्षों की शेष पुस्तकें उपलब्ध हैं। अतः विकासखंड स्तर पर उपलब्ध अथवा गत वर्ष स्कूलों को अधिक प्रदाय संख्या को वापिस प्राप्त कर आवश्यकतानुसार शालाओं में ये पुस्तकें प्रदान की जायेगी। यह कार्यवाही अभी से पूर्ण कर लें ताकि संस्कृत विशिष्ट विषय की पुस्तकों में वितरण में कोई समस्या उत्पन्न न हो।
7. जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंडों के पाठ्य पुस्तक प्रभारी के साथ 30 जून 2020 के पूर्व समीक्षा कर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें जिला स्तर के विकासखंड से ही वितरित की जायेंगी।
9. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में पाठ्यपुस्तकों की कोई भी माँग किसी भी विकासखंड के लिए तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि जिले में कुल प्राप्त पुस्तकों एवं नामांकन का विश्लेषण न कर लिया जाये।
9. संभाग, जिला विकासखंड स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से पाठ्यपुस्तक वितरण की समीक्षा करेंगे, इसके लिए कक्षावार पुस्तकवार रिपोर्ट विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है।
10. शाला स्तर से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण एवं प्रवेश के संबंध में पृथक् से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

(जयश्री कियावत)  
आयुक्त  
लोकशिक्षण म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/योजना/शु.पा.पु.वि./2020/1127

रीवा दिनांक 21/7/2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला रीवा।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, पत्र में वर्णित निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा गत वर्ष की प्राप्त, वितरण, शेष पाठ्य पुस्तकों की विषयवार, कक्षावार जानकारी 03 दिवस के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला रीवा (म.प्र)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)

दूरभाष : 07662- 255851 फ़ैक्स नं. - 07662-255851

E-mail- deorew-mp@nic.in

क्रमांक/योजना/जा.प्रमा./2020/ 1123

रीवा दिनांक 25/6/2020

प्रति,

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  
रीवा, गंगेव, नईगढी, हनुमना,  
सिरमौर, जवा, मऊगंज, रायपुर कर्चु,  
त्यौंथर जिला रीवा (म0प्र0)

अंतिम स्मरण पत्र

विषय:-  
संदर्भ:-

विशेष अभियान अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र वितरण की जानकारी तत्काल भेजने बावत।  
इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/विद्या-1/जा.प्र.प./2019/809 रीवा दिनांक 23.03.2019  
एवं स्मरण पत्र क्रमांक/विद्या-1/लो.से.गा./जा.प्र.प./2019/847 रीवा दिनांक 01.05.  
2019 तथा कलेक्टर, जिलारीवा का पत्र क्रमांक 297/लो.से.गा./2019 रीवा दिनांक 18.10.  
2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 739 दिनांक 05.11.2019

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र आपकी ओर भेजकर निर्देशित किया गया था कि विशेष अभियान के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में स्कूलों से प्राप्त आवेदन पत्रों को <http://mpedistrict.gov.in> में दर्ज किया गया है। वर्तमान समय में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अधिकांश आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है जिन्हें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रिंट एवं लेमीनेट कराकर संकुल/जनशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जा चुका है। तत्संबंध में कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा जाति प्रमाण पत्र के वितरण संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर चाही गई थी, किन्तु आपके द्वारा उक्त जानकारी अद्यावधि तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण कलेक्टर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव चाहा जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकासखण्ड अंतर्गत संचालित उ.मा.वि. /हाई स्कूल/मा.शा./प्रा.शा. में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (पेन ड्राइव में) तत्काल लौटती डाक से इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे एवं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जावेगा।



जिला शिक्षा अधिकारी

जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा दिनांक 25/6/2020

पृ. क्रमांक/योजना/जा.प्रमा./2020/ 1123  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
3. कलेक्टर, जिला रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।  
की ओर सूचनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला रीवा (म.प्र.)